संख्याः– 132 /I(2)/2007-06(1)/27(Vol-II)/03

प्रेषक,

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः15 जनवरी, 2008

विषयः– **RIDF-IX योजना के अन्तर्गत पावर सैक्टर की सिस्टम इम्प्रुवमेंट परियोजना के लिये पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 को वित्तीय वर्ष 2007–08 में नाबार्ड से धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 644/अधि0नि0(वित्त)/पिटकुल/नाबार्ड, दिनांक 04.12.2007 एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या NB(Uttarakhand)RIDF/R-4/2007-08, दिनांक 03.12.2007 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2007–08 में नाबार्ड से RIDF-IX योजना के अन्तर्गत पावर सैक्टर की सिस्टम इम्प्रुवमेंट हेतु 15 परियोजनाओं के लिये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त ऋण रु0 94.16 करोड़ (रु0 चौरानबे करोड़ सोलह लाख मात्र) के सापेक्ष रु0 50,00,00,000.00 (रु0 पचास करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

2– स्वीकृत धनराशि के आगणनों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाय अथवा नियमानुसार पूर्व से अनुमोदित एवं चालू कार्यों पर ही व्यय किया जाय।

3– धनराशि का उपयोग नाबार्ड के गाईड लाईन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त स्वीकृत ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

5– ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी त्रैमासिक रूप से संगत राजस्व लेखा शीर्षक में राज्य सरकार के खाते में की जायेगी, जिसकी मूल धनराशि की अदायगी शासनादेश निर्गत होने के तीन वर्षों के पश्चात वार्षिक 5 किश्तों में की जायेगी एवं ब्याज की अदायगी त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।

6– पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 उक्त धनराशि का रिम्बर्समेंट क्लेम अविलम्ब प्रस्तुत करेगा तथा लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि नाबार्ड से स्वीकृत कराकर सम्बन्धित 15 परियोजनाओं को दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण करेगा।

7– नाबार्ड द्वारा लागत वृद्धि के फलस्वरूप ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में 15 परियोजनाओं का विवरण संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

8– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

2

9- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् परियोजनाओं के डी.सी.आर. प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रस्ताव तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाये।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है और निर्धारित समय में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12- स्वीकृत ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्जे-05-पारेषण व वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-05-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को नाबार्ड से ऋण (0105 से स्थानान्तरित)-30-निवेश/ऋण नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 41/XXVII(1)/2008, दिनांक 14 जनवरी, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्या:-132/I(2)/2007-06(1)/27(Vol-II)/03, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- सचिव-मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
11- गार्ड फाईल।

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

14/01/08